UNIVERSITY SPORTS BOARD
MAHARAJA GANGA SINGH UNIVERSITY, BIKANER

भारतीय विश्वविद्यालय संघ अनुसार
अन्तर महाविद्यालय/अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में सहभागिता हेतु नियम

(अ) योग्यता नियम :–

1. पूर्णकालिन नियमित/प्रामाणिक छात्र/छात्रा जिन्होंने स्कूल स्तर की 10+2 परीक्षा के पश्चात् विश्वविद्यालय के स्नातक/स्नातकोतर पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो, वही विश्वविद्यालय खेल बोर्ड द्वारा अधिस्वीकृत अन्तर महाविद्यालय/अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में भाग ले सकता है।
   - खुले विश्वविद्यालयों के नियमित/प्रामाणिक छात्र/छात्रा भी अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेल संघ द्वारा स्वीकृत किसी भी अन्तर महाविद्यालय/अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में भाग ले सकता है बशर्त वे अन्य योग्यता नियमों के अनुसार पूर्ण योग्यता रखते हो।
   - शोध (पीएच.डी.), एम.फिल. के नियमित छात्र अन्य योग्यता होने पर प्रतियोगिता में भाग लेने योग्य होंगे।
2. अन्तर महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु प्रत्येक पूर्णकालिन नियमित/प्रामाणिक छात्र/छात्रा को निम्नलिखित नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा–
   - विश्वविद्यालय में स्नातक/स्नातकोतर/डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश पात्रता के योग्य हुए छात्र/छात्रा को **9 वर्ष** से अधिक समय व्यतीत नहीं हुआ हो। (10+2 उर्तीण वर्ष से)
   - वही छात्र/छात्रा प्रतियोगिता में भाग ले सकता है जो सम्बन्धित शैक्षिक सत्र की प्रथम जुलाई को **28 वर्ष** से कम आयु के हो।
   - छात्र/छात्रा अपने शैक्षिक पाठ्यक्रम की सामान्य पूर्णावधि से एक वर्ष अधिक अपने महाविद्यालय/विश्वविद्यालय संकाय का अन्तर महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व कर सकता है।(स्नातक में अधिकतम **5 वर्ष** एवं स्नातकोतर में **4 वर्ष**)
3. एक शैक्षिक सत्र के दौरान प्रतिभागी छात्र/छात्रा एक ही महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व कर सकता है।
4. विश्वविद्यालय में अस्थायी/अंशकालीन/पूरक छात्र/छात्रा के रूप में प्रवेशित खिलाड़ी विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओ में भाग लेने के योग्य नही है।
5. एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में स्थानान्तरण होने पर प्रतिभागी खिलाड़ी को विश्वविद्यालय प्रतिनिधित्व के योग्य तभी माना जायेगा जब माइग्रेशन सटिफिकेट प्राप्त करने वाला विश्वविद्यालय प्रवेश की अन्तिम या पूर्ण या वैध पुष्टि कर देगा।
6. यदि 10+2 के बाद स्नातक या स्नतकोतर पाठ्यक्रम में एक कक्षा में **अन्तराल दो वर्ष** से अधिक का है तो वह खिलाड़ी अन्तर महाविद्यालय व अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग नही ले सकेगा।
7. **10+2/स्नातक/स्नातकोतर उतीर्ण करने पर अगली कक्षा में वह दो वर्ष तक ही खेल सकेगा और उस कक्षा में पास होने के पश्चात् ही वह तीसरे वर्ष अगली कक्षा में खेल सकेगा। 10+2 उतीर्ण करने के वर्ष से ही उसके कुल अवसर/ वर्षो की गणना प्रारम्भ हो जायेगी ।**
8. छात्र का पिछले किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय से खेले हुये अवसरो को भी आवश्यक रूप से वर्तमान खेलने के अवसरो के साथ गिना जायेगा। जिससे की गलत दावा प्रस्तुत नही किया जावे। शैक्षणिक योग्यता भी तभी से स्वीकार होगी जब खिलाड़ी ने पूर्व में अन्तर महाविद्यालय या अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में खेलना प्रारम्भ किया था।
9. 10वीं, 10+2, स्नातक व स्नातकोतर की अंकतालिकाएं संस्था प्रधान से सत्यापित होना आवश्यक है।

(ब) व्याख्या :–

1. यदि नियमित छात्र एवं छात्रा एक पाठ्यक्रम समाप्त होने के पश्चात पुनः उसी या नये पाठ्यक्रम में शामिल होता है तो प्रतिभागी के सभी अवसर अन्तर महाविद्यालय/अन्तर विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार ही होंगे।

2. एक वर्ष का अर्थ यहां एक शैक्षणिक सत्र होगा जिसकी अवधि के दौरान छात्र/छात्रा उतीर्ण या अनुतीर्ण रहे सामान्यतः यह अवधि एक सत्र के 01जुलाई से 12 महीने तक तथा आगामी सत्र के आरम्भ तक मान्य होगी।
3. योग्य तथा पात्र छात्र/छात्रा प्रतिनिधि अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में **एक कक्षा में अधिकतम दो वर्ष** अपने महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व कर सकता है। **यह नियम स्नातक और स्नातकोतर दोनों कोर्सेज में लागू होगा।** एक ही सत्र् में एक कक्षा में यह रोक लागू होने पर भी पाठ्यक्रम/डिप्लोमा की पूर्णावधि से एक वर्ष अधिक खेल सकने का निषेध यहां भी लागू होगा। पूर्णावधि से एक वर्ष अधिक प्रतियोगिता में पाठ्यक्रम/कार्यक्रम की प्रतिभागी छात्र/छात्रा के प्रतिनिधित्व पर रोक/निषेध का तात्पर्य होगा कि स्नातक पाठ्यक्रम में छात्र 5 वर्ष तक एवं स्नातकोतर पाठ्यक्रम में छात्र 4 वर्ष तक ही खेल सकेगा।
4. संकाय परिवर्तन संभव है, परन्तु अध्ययन की पूर्णावधि के प्रथम दो वर्ष, प्रथम प्रवेश वाले संकाय में ही होंगे।
5. शेष अवधि (एक या दो वर्ष) ही स्थानान्तरित संकाय में तभी पूर्ण की जा सकती है, जब नये संकाय का प्रथम वर्ष प्रतिभागी ने उतीर्ण कर लिया हो।

योग्यता/पात्रता नियमों के उल्लंघन पर अयोग्यता :-

1. किसी भी प्रतिभागी के पात्रता नियमों का उल्लंघन पूर्ण टीम की स्वतः अयोग्यता के लिए जिम्मेदार होगा।
2. प्रतिनिधित्व अयोग्यता के कारण वंचित होने के आगमी वर्ष भी प्रतिभागी टीम छात्र/छात्रा को प्रतिनिधित्व से वंचित किया जा सकता है।
3. अखिल भारतीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिता होने के पश्चात प्रतिभागी छात्र/छात्रा यदि किसी अन्य संस्थान आदि का प्रतिनिधित्व भारतीय विश्वविद्यालय खेल बोर्ड की अनुमति के बिना करता पाया जाने पर किसी भी अन्तर महाविद्यालय/ अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में भाग लेने से वंचित कर दिया जायेगा।
4. जो छात्र/छात्रा पूर्णकालिक आधार पर नौकरी कर रहे हैं, वे प्रतियोगिता के लिए योग्य नहीं होंगे, परन्तु सम्बन्धित विभाग से अनापति पत्र प्राप्त करके प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के योग्य हो सकते हैं। सार्वजनिक/निजी संस्थान द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले छात्र अन्य योग्यता पूर्ण करने पर प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु योग्य होंगे।
5. यदि किसी छात्र/छात्रा के द्वारा नियमों का उल्लंघ्न करते पाया गया तो अखिल भारतीय विश्वविद्यालय के नियमानुसार महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा उन खिलाड़ियों का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है और साथ ही साथ मुख्य परीक्षा से भी वंचित किया जा सकता है।

अन्य नियम :-

1. अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिताओं में किसी भी तरह के विवाद होने या डोपिंग का शक होने पर नियमानुसार 500/- प्रोटेस्ट फीस जमा करवाकर प्रतियोगिता के आयोजक महाविधालय को प्रतियोगिता समाप्ति से दो धंन्टे पूर्व लिखित सूचना देना आवश्यक होगा। प्रतियोगिता समाप्ति के बाद का दावा नहीं माना जायेगा। एथेलेटीक्स्, भारोतोलन, जूडो, कुश्ती आदि खेलों में खिलाड़ी डोपिंग से सम्बन्धित शपथ पत्र भरेंगे जिसमें यदि प्रतिभागी दोषी पाये जाते हैं तो 25,000/- रूपये जुर्माना स्वयं द्वारा अदा करने की जिम्मेदारी लेनी होगीं। प्रोटेस्ट का निस्तारण प्रतियोगिता स्थल पर ही किया जायेगा।
2. एथेलेटीक्स्, भारोतोलन, जूडो, कुश्ती आदि व्यक्तिगत खेलों में एक खिलाड़ी यदि दो इवेन्टस् में विजेता रहता है तो वही खिलाड़ी दोनो इवेन्ट में भाग लेगा ।
3. अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ी द्वारा प्रतियोगिता मे जाने से पहले ऐलिजीबिलीट परफोर्मा (योग्यता प्रारूप) एवं स्वयं के डोक्यूमेन्टस् साथ लाने होगे।
4. एथेलेटीक्स प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी 2+1 इवेन्ट में भाग ले सकता है।
5. प्रथम वर्ष एवं अन्य विश्वविधालयो से आये नव प्रवेशित (Migration Case) खिलाड़ियों का विश्वविद्यालय में नामांकन सत्र समाप्ति से पूर्व होना आवश्यक है। अन्यथा प्रमाण पत्र जारी नही किया जायेगा ।
6. भार वर्ग में आने वाले खिलाड़ियों के भार की जांच विश्वविद्यालय टीम रवाना होने से पहले की जा सकती है।

चैयरमेन स्पोर्टस् बोर्ड, सहायक निदेशक (शारीरिक शिक्षा)

Director Sports
SPORTS BOARD
Maharaja Ganga Singh University, Bikaner
BIKANER (RAJ.)

Maharaja Ganga Singh University, Bikaner

ELIGIBILITY PERFORMA FOR INTER COLLEGE TOURNAMENTS

Name of the Tournament.......................................Section -Men/Women Name of the Manager...Mob. No...................................

Name of the Organizing College...Name of the Participant College..

YEAR ....

Sr No.	Name of Sportsperson	Father Name	Mother Name	Date of Birth	Date & Year of Passing Qualifying Examination for First Admission to a College/ University		Present Class	Name of the Present Course	Duration of Course	Date & Year of First Admission to		Number of years of previous participation while pursuing		Enroll-ment No.	Remarks/ Mobile No.
					Name of Exam	Date & Year				College	Present Course	Graduate Course	P.G. Course		
	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															

Certified that the above particulars are correct and true as per records of the College & above player are not employed on full time basis.

MIGRATION CASES:

Certified that Sportsperson(s) listed at S.No.(s) ______________ above is/are migration cases. He/she/they has/have been admitted to the University as bonafid, full time & duly enrollment students for following full time university Course/Class of not less than one academic years duration for which examinations are also conducted by the university.

Date__________________Seal of the College ______________________Signature of the principal ____________________________ Signature of Director Physical Education__________________

ADDITIONAL INFORMATION TO BE SUBMITTED FOR CHANGE IN COURSE/FACULTY

S.No.	Name of the player	Father's name	Name of previous class	Name of new class	Name of previous course/faculty	Name of new course/faculty	Date & year of joining previous course/faculty	Date & Year of changing to new course/faculty	Minimum academic qualifications of admission to new course/faculty	Remarks
a.										
b.										
c.										
d.										

Certified that the above particulars are correct and true as per records of the College.
Further certified that the player listed above has been made aware that the tournament is regulated by the rule & regulation for inter college tournaments & have also informed of rule (13) which state that

The suit against the university should be field in court of Bikaner only in view of the fact that the office of Sports Board is located in Bikaner and these courts alone will have jurisdiction to try the suit

No player, who chose to play on behalf of the State team, in any tournament, without prior permission of the MGSU, Bikaner and in case of tournaments in which Indian Universities teams are also participating, without prior permission of the AIU, shall be allowed to participate in any university, inter-collegiate and inter-University tournaments. It was for the concerned university to take appropriate disciplinary action against players playing on behalf of State teams without their permission as referred to in the preceding sentence.

Date__________ Seal of the College __________Signature of the principal __________ Signature of Director Physical Education__________

IMPORTANT NOTE:

1. Only those Colleges shall be allowed to participate in this tournament which submits this Performa in duplicate compile in all respects to the Organizing Secretary in time as required under the rules. Before submitting the team to participate in this tournament, the Organizing Secretary shall ensure that:
   - i) Eligibility details as contained herein are neatly typed on this form and do not bear any unauthorized over writings.
   - ii) The identity cards bear the photographs of the members of the team and their signatures are duly attested by the concerned Principal/Head of the institution under seal and the identity cards do not bear any unauthorized over-writings.
   - iii) The eligibility details given herein have been thoroughly scrutinized and the Organizing Secretary is satisfied that the members of the team are eligible to participate in the tournament.
   - iv) The college has submitted a declaration to the effect that they are not in arrears in respect of the current Annual Subscription or any other dues payable to the Sports board.
2. One copy of the Performa, out of the 2 received by the Organizing College shall be returned to the University Sport Board.
3. Immediately at the end of the tournament the Organizing Secretary shall send to the Office of sports board one copy of this Performa complete in all respect,
4. The following columns must be completed by the Organizing Secretary:
   - i. Date of receipt of this Performa by the Organizing Secretary __________
   - ii. Date of the first match in the tournament of this College __________
5. The Organizing Secretary will sign the following certificate before allowing the team to participate in the tournament.

Certified that I have checked the eligibility particulars of the members of the team given herein and found them eligible.

Date __________

Signature of the Organizing Secretary